उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–996–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2020–3(193)ई0एम0–03/2010 दिनांकः 27 जुलाई, 2020

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त (दिनांक 30.09.2019) सहायक अभियन्ता को पेंशन व ग्रेच्युटी की स्वीकृति।

महोदय,

श्री अशोक कुमार गुप्ता (अभि0सं0–2010193, वरि0क0–6644), सहायक अभियन्ता, जो दिनांक 30.09.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को पत्र संख्या–2277–शि0जॉ0–05सी/पाकालि/2019 दिनांक 20.09.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, नूरपुर (शामली) के पद पर तैनाती अवधि में मै0 शिव ट्रेडर्स, चॉदपुर द्वारा निविदा सं0–40/2015–16 एवं 41/2015–16 के सम्बन्ध में की गयी शिकायत की जांच में, प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर, प्रकरण नियमित अनुशासनिक कार्यवाही की प्रकिया सम्पादित किये जाने हेतु जांच समिति को संदर्भित किये जाने के कारण कारपोरेशन के पत्र संख्या–1888–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2019 दिनांक 11.12.2019 द्वारा अनन्तिम **(Provisional)** पेंशन अधिकृत की गयी थी।

कारपोरेशन के आदेश संख्या–829–शि0जॉ0–05सी/पाकालि/2020 दिनांक 09.06.2020 द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, नूरपुर, बिजनौर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त किये जाने के प्राप्त आदेश के उपरान्त, पत्र संख्या–778–अधि0 प्रब0–03/पाकालि/2020 दिनांक 18.06.2020 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध कोई प्रकरण प्रचलित/ लम्बित न होने की पुष्टि करा ली गयी है।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को यथानियम अनुमन्य पेंशन/ग्रेच्युटी अधिकृत करने में अब कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं है, तथापि इन लाभों को अधिकृत करते समय अवशेष देयों, यदि कोई हों, का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये, कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, जो खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पैनल रेन्ट आदि बकाया न हो।

श्री अशोक कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक–6644) से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता हैं, इस कारण इनके अवर अभियन्ता काल से सम्बन्धित देयों, यदि कोई हों, का समायोजन भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

कृपया कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव

— 2

संख्या–996(।)–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020 तद्‌दिनांक : 27.07.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत 1– प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ–250001

2– संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को आदेश संख्या–829–शि0जॉ0–05सी / पाकालि / 2020 दिनांक 09.06.2020 के सन्दर्भ में।

3– उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत 4– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, शामली।

5– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत 7– श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मकान नं0–336, ब्लाक–ए–1, गली नं0–10, हर्ष विहार, दिल्ली–110093 (मोबाइल नं0–7565814340) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सेवानैवृत्तिक अन्य देयों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में वांछित प्रपत्र सम्बन्धित खण्ड / इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– कट फाइल।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव